

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2021—भाद्र 30, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021

क्र. 2738-3050-21-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिले का नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम और पदनाम (4)
1	देवास	देवास	सुश्री नेहा परस्ते, JMFC
2	सागर	सागर	श्रीमती रोहिणी तिवारी, JMFC

No. 2738-3050-21-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) there of for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dewas	Dewas	Sushree. Neha Paraste, JMFC
2	Sagar	Sagar	Smt. Rohini Tiwari, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.